राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ,मुख्यालय, जयपुर ।

क्रमांक एफ–4/मु./याता/लेखा (11)/2019/333 दिनांक :– 4-9-2019

कार्यालय–आदेश

डीलक्स आगार द्वारा संचालित सेवाओं में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ–4/मु./याता/लेखा (11)/2013/346 दिनांक 21.05.2013 से FLEXIBLE-FARE योजना लागू की गयी तथा इसके पश्चात इसमें कार्यालय आदेश क्रमांक 769 दिनांक 12.11.2013 द्वारा आवश्यक संशोधन किया गया ।

निगम बसों में यात्री भार की उपलब्धता में वृद्धि करने एवं अग्रिम आनलाइन रिजर्वेशन/टिकिट बुकिंग आरक्षण में वृद्धि के उद्धेश्य से वर्तमान में लागू FLEXIBLE-FARE योजना में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है ।

क.सं.	यात्रा की निर्धारित तिथि से पूर्व आरक्षण कराने पर	यात्री किराया राशि में देय रियायत
1.	3 से 15 दिवस	10 प्रतिशत
2.	16 से 30 दिवस	20 प्रतिशत

उक्त योजना डीलक्स एवं वातानुकूलित श्रेणी की वाहनों में न्यूनतम 250 कि.मी. एवं इससे अधिक दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों पर तथा द्रुतगामी एवं सेमी डीलक्स श्रेणी की वाहनों में न्यूनतम 100 कि.मी. एवं इससे अधिक दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों पर ही प्रभावी होगी । रियायत वाहन बैठक क्षमता की 50 प्रतिशत सीटों तक ही प्रदान की जा सकेगी।

योजना के सम्बन्ध में निम्न शर्ते लागू होगी:–

1. विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों को जिन्हें निःशुल्क अथवा रियायती यात्रा सुविधा देय है उन्हें उक्त वर्णित रियायत देय नही होगी । रियायत केवल एक ही प्रकार की दी जावेगी ।
2. वर्णित रियायत /छूट यात्री किराया राशि पर दी जावेगी, यात्री किराया राशि के साथ यात्री से वसूली योग्य अधिभार/शुल्क यथा दुर्घटना क्षतिपूर्ति अधिभार, मानव संसाधन अधिभार,टोल टैक्स, आई.टी.शुल्क एव कर आदि पर रियायत/छूट देय नही होगी ।
3. जिन टिकिटों पर उक्त रियायत स्वीकृत की जावें उन टिकिटों पर किराया वापिसी के नियमों के साथ ,निम्न प्रावधान भी लागू होगे :–
   (i) यात्रा निरस्त/रद्ध कराने की स्थिति में कटौती राशि की गणना मूल किराया राशि पर की जावेगी तथा 5 प्रतिशत प्रशासनिक अधिभार अतिरिक्त वसूली योग्य होगा ।
4. उक्त वर्णित रियायत प्राप्त करने वाले यात्रियों को रिटर्न टिकिट /समूह यात्रा के लिए निर्धारित छूट देय नही होगी ।
5. उक्त रियायत प्राप्त करने वाले यात्री को यात्रा करते समय सरकार द्वारा निर्धारित फोटो युक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
6. यात्री द्वारा यात्रा के लिये आरक्षण कराने /टिकिट क्रय करने के पश्चात यात्रा के लिये निर्धारित दिवस वाहन प्रस्थान समय पर किन्ही कारणों से नही पहुॅचने अथवा विशेष कारणों से वाहन के प्रस्थान समय तक वाहन में

Scanned by CamScanner

नही बैठने की स्थिति में निम्न शर्तो के तहत ऐसे यात्री को अन्य वाहन में यांत्रा अनुमति दी जावेगी ।

(i) ऐसे यात्री को निगम में यात्रा करने के लिये क्रय की गई टिकिट में अंकित नांम के अनुसार पहचान परिचय पत्र प्रस्तुत करने पर वाहन प्रस्थान के आधे घण्टे में स्थान प्रभारी /ड्यूटी ऑफिसर को रिपोर्ट करने पर ऐसे यात्री को उस वाहन के पश्चात प्रस्थान करने वाली वाहन में यात्रा अनुमति दी जावेगी।

(ii) अनुमति ,सम्बन्धित दिनांक को आगामी तीन घण्टे तक प्रस्थान करने वाली वाहनों में अनारक्षित सीट/रिक्त सीट उपलब्धता की स्थिति में ही प्रदान की जावेगी।

7. यह FLEXIBLE-FARE योजना लागू होने के पश्चात पूर्व में FLEXIBLE-FARE योजना के सम्बन्ध में पूर्व में जारी आदेश क्रमांक एफ–4/मु. /याता/लेखा(11)/2013/346 दिनांक 21.05.2013, आदेश क्रमांक 656 दिनांक 16.09.2013 एवं कार्यालय आदेश क्रमांक 769 दिनांक 12.11.2013 स्वतः ही निष्प्रभावी हो जायेगे ।

उक्त योजना दिनांक 11.09.2019 से यात्रा करने वाले यात्रियों पर लागू की जाती है तथा योजना के अन्तर्गत परिणामों की समीक्षा प्रतिमाह कार्यकारी निदेशक- (यातायात) के स्तर पर की जावेगी । उप महा प्रबन्धक(आई.टी.)द्वारा प्रतिमाह उक्त योजना के सम्बन्ध में सम्पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जावेगा।

योजना दिनांक 11.09.2019 से प्रभावी की जाती है ।
उक्त आदेश समक्ष स्तर से अनुमोदित है ।

(शुचि शर्मा)
प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक एफ–4/मु./याता/लेखा(11)/2019/333 दिनांक :– 04-09-2019

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर
2. समस्त विभागाध्यक्ष ( ) राजस्थान परिवहन निगम,मुख्यालय जयपुर ।
3. समस्त महा प्रबन्धक,/संयुक्त महा प्रबन्धक( ) राज परि0 निगम,मु0जयपुर ।
4. निगम सचिव रा0परि0निगम मु0 जयपुर।
5. उप महा प्रबन्धक (सांख्यिकी/बजट/ टिकिट/अंकेक्षण)राज0 परि0 नि0,मु0जयपुर।
6. उप महा प्रबन्धक(आई.टी) राजस्थान परिवहन निगम,मुख्यालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वर्णित आदेश वेबसाईट पर उपलब्ध कराना एवम् तदानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावे ।
7. जोनल मैनेजर राजस्थान परिवहन निगम.............................जोन ।
8. कार्यकारी प्रबन्धक,(जनसम्पर्क),रा.प.नि.मु0 जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है रियायती योजना का प्रचार–प्रसार अधिक से अधिक किया जावें ।
9. कार्यकारी प्रबन्धक(............)/लेखाधिकारी,(..................) राजस्थान परितहन निगम मुख्यालय जयपुर ।
10. समस्त मुख्य प्रबन्धक,/प्रबन्धक,(वित्त)राज0 परि0 निगम.................आगार को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि इसका प्रचार–प्रसार अधिक से अधिक किया जावें ।
11. आदेश पत्रावली ।

(यू.डी.खान)
कार्यकारी निदेशक (यातायात)

4/9/19

Scanned by CamScanner